

बिहार सरकार  
अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-4 / निदे०आ०वि०सं०धा०(वे०आ०)-181-02 / 2026-07

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-16/04/2026

**विषय:**—वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹112,57,19,440/- (एक सौ बारह करोड़ सनतावन लाख उनीस हजार चार सौ चालीस रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹112,57,19,440/- (एक सौ बारह करोड़ सनतावन लाख उनीस हजार चार सौ चालीस रु०) मात्र की आवंटन दी जाती है।

2—कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय व्यय शीर्ष माँग सं०-44-2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01—अनुसूचित जातियों का कल्याण-277—शिक्षा-0003—आवासीय विद्यालय—विषय शीर्ष-0003.01.01—वेतन मद, 0003.01.03—जीवन यापन भत्ता, 0003.01.04—मकान किराया भत्ता, 0003.01.05—परिवहन भत्ता, 0003.01.06—चिकित्सा भत्ता, 0003.13.01—कार्यालय व्यय, 0003.13.04—विद्युत प्रभार, 0003.14.01—किराया महसूल एवं कर, 0003.21.01—सामग्री एवं पूर्तियाँ, 0003.27.02—अनुरक्षण एवं मरम्मत, तथा 0003.28.02—सविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं०-44-2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3—इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4—वित्त विभाग के पत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5—संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6—संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाएगा।

7—आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8— इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय। ।

विश्वासभाजन,

  
निदेशक

ज्ञापांक-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-181-02 / 2026- 07 पटना, दिनांक - 16/04/2026

प्रतिलिपि:-संलग्न विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक

विवरणी  
 वित्तीय वर्ष 2026-27 मे स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु० जाति के आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटित राशि की विवरणी  
 2225012770003 (राशि ₹० में)

क्र० सं०	जिला	वेतन (01.01)	जीवन यापन भत्ता (01.03)	मकान किराया भत्ता (01.04)	परिवहन भत्ता (01.05)	चिकित्सा भत्ता (01.06)	कुल वेतनादि (क्रमांक 3 से 7 तक का योग)	कार्यालय व्यय (13.01)	विद्युत प्रभार (13.04)	किराया महसूल एवं कर (14.01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21.01)	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27.02)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल आवंटित राशि (क्रमांक 8 से 14 तक का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अररिया	53,20,000	34,58,000	3,23,000	18,240	76,000	91,95,240	17,000	5,00,000	-	1,42,68,000	1,85,000	3,50,000	2,45,15,240
2	अरवल	36,40,000	23,66,000	2,21,000	12,480	52,000	62,91,480	17,000	5,00,000	-	91,93,000	1,85,000	3,50,000	1,65,36,480
3	औरंगाबाद	50,40,000	32,76,000	3,06,000	17,280	72,000	87,11,280	17,000	5,00,000	-	1,37,46,000	1,85,000	3,50,000	2,35,09,280
4	बाँका	53,20,000	34,58,000	3,23,000	18,240	76,000	91,95,240	17,000	5,00,000	-	1,22,09,000	1,85,000	3,50,000	2,24,56,240
5	बेगुसराय	33,60,000	21,84,000	2,04,000	11,520	48,000	58,07,520	17,000	5,00,000	-	61,19,000	1,85,000	3,50,000	1,29,78,520
6	भागलपुर	42,00,000	27,30,000	2,55,000	14,400	60,000	72,59,400	17,000	5,00,000	-	71,92,000	1,85,000	3,50,000	1,55,03,400
7	भोजपुर	81,20,000	52,78,000	4,93,000	27,840	1,16,000	1,40,34,840	34,000	10,00,000	-	1,29,63,000	3,70,000	7,00,000	2,91,01,840
8	बक्सर	53,20,000	34,58,000	3,23,000	18,240	76,000	91,95,240	17,000	5,00,000	-	1,22,96,000	1,85,000	3,50,000	2,25,43,240
9	दरभंगा	30,80,000	20,02,000	1,87,000	10,560	44,000	53,23,560	17,000	5,00,000	9,28,000	82,36,000	1,85,000	3,50,000	1,55,39,560
10	पू० चम्पारण	47,60,000	30,94,000	2,89,000	16,320	68,000	82,27,320	17,000	5,00,000	-	1,35,72,000	1,85,000	3,50,000	2,28,51,320
11	गया	4,03,20,000	2,62,08,000	24,48,000	1,38,240	5,76,000	6,96,90,240	2,21,000	65,00,000	1,12,000	7,45,59,000	24,05,000	45,50,000	15,80,37,240
12	गोपालगंज	67,20,000	43,68,000	4,08,000	23,040	96,000	1,16,15,040	17,000	5,00,000	-	77,72,000	1,85,000	3,50,000	2,04,39,040
13	जमुई	42,00,000	27,30,000	2,55,000	14,400	60,000	72,59,400	17,000	5,00,000	-	1,12,52,000	1,85,000	3,50,000	1,95,63,400

क्र० सं०	जिला	वेतन (01.01)	जीवन यापन भत्ता (01.03)	मकान किराया भत्ता (01.04)	परिवहन भत्ता (01.05)	चिकित्सा भत्ता (01.06)	कुल वेतनादि (क्रमांक 3 से 7 तक का योग)	कार्यालय व्यय (13.01)	विद्युत प्रभार (13.04)	किराया महसूल एवं कर (14.01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21.01)	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27.02)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल आवंटित राशि (क्रमांक 8 से 14 तक का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	जहानाबाद	64,40,000	41,86,000	3,91,000	22,080	92,000	1,11,31,080	17,000	5,00,000	-	1,62,69,000	1,85,000	3,50,000	2,84,52,080
15	भभुआ	92,40,000	60,06,000	5,61,000	31,680	1,32,000	1,59,70,680	34,000	10,00,000	-	1,79,80,000	3,70,000	7,00,000	3,60,54,680
16	कटिहार	36,40,000	23,66,000	2,21,000	12,480	52,000	62,91,480	17,000	5,00,000	-	64,09,000	1,85,000	3,50,000	1,37,52,480
17	खगड़िया	33,60,000	21,84,000	2,04,000	11,520	48,000	58,07,520	17,000	5,00,000	-	66,99,000	1,85,000	3,50,000	1,35,58,520
18	किशनगंज	47,60,000	30,94,000	2,89,000	16,320	68,000	82,27,320	17,000	5,00,000	-	1,29,05,000	1,85,000	3,50,000	2,21,84,320
19	लखीसराय	30,80,000	20,02,000	1,87,000	10,560	44,000	53,23,560	17,000	5,00,000	-	89,32,000	1,85,000	3,50,000	1,53,07,560
20	मधेपुरा	61,60,000	40,04,000	3,74,000	21,120	88,000	1,06,47,120	17,000	5,00,000	-	1,39,78,000	1,85,000	3,50,000	2,56,77,120
21	मधुबनी	1,26,00,000	81,90,000	7,65,000	43,200	1,80,000	2,17,78,200	51,000	15,00,000	-	2,45,92,000	5,55,000	10,50,000	4,95,26,200
22	मुंगेर	28,00,000	18,20,000	1,70,000	9,600	40,000	48,39,600	17,000	5,00,000	-	87,29,000	1,85,000	3,50,000	1,46,20,600
23	मुजफ्फरपुर	1,45,60,000	94,64,000	8,84,000	49,920	2,08,000	2,51,65,920	68,000	20,00,000	14,88,000	3,16,97,000	7,40,000	14,00,000	6,25,58,920
24	नालंदा	1,00,80,000	65,52,000	6,12,000	34,560	1,44,000	1,74,22,560	34,000	10,00,000	-	2,07,06,000	3,70,000	7,00,000	4,02,32,560
25	नवादा	1,28,80,000	83,72,000	7,82,000	44,160	1,84,000	2,22,62,160	51,000	15,00,000	-	3,41,62,000	5,55,000	10,50,000	5,95,80,160
26	पटना	1,87,60,000	1,21,94,000	11,39,000	64,320	2,68,000	3,24,25,320	51,000	15,00,000	-	4,03,68,000	5,55,000	10,50,000	7,59,49,320
27	पूर्णियाँ	47,60,000	30,94,000	2,89,000	16,320	68,000	82,27,320	17,000	5,00,000	-	1,09,91,000	1,85,000	3,50,000	2,02,70,320
28	रोहतास	70,00,000	45,50,000	4,25,000	24,000	1,00,000	1,20,99,000	34,000	10,00,000	-	1,39,20,000	3,70,000	7,00,000	2,81,23,000
29	सहरसा	33,60,000	21,84,000	2,04,000	11,520	48,000	58,07,520	17,000	5,00,000	-	84,97,000	1,85,000	3,50,000	1,53,56,520

क्र० सं०	जिला	वेतन (01.01)	जीवन यापन भत्ता (01.03)	मकान किराया भत्ता (01.04)	परिवहन भत्ता (01.05)	विकित्सा भत्ता (01.06)	कुल वेतनादि (क्रमांक 3 से 7 तक का योग)	कार्यालय व्यय (13.01)	विद्युत प्रभार (13.04)	किराया महसूल एवं कर (14.01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21.01)	अनुरक्षण एवं मरम्मति (27.02)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल आवंटित राशि (क्रमांक 8 से 14 तक का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	समस्तीपुर	67,20,000	43,68,000	4,08,000	23,040	96,000	1,16,15,040	34,000	10,00,000	-	1,72,55,000	3,70,000	7,00,000	3,09,74,040
31	सारण	36,40,000	23,66,000	2,21,000	12,480	52,000	62,91,480	17,000	5,00,000	18,00,000	45,82,000	1,85,000	3,50,000	1,37,25,480
32	शेखपुरा	36,40,000	23,66,000	2,21,000	12,480	52,000	62,91,480	17,000	5,00,000	-	87,29,000	1,85,000	3,50,000	1,60,72,480
33	शिवहर	36,40,000	23,66,000	2,21,000	12,480	52,000	62,91,480	17,000	5,00,000	10,80,000	1,16,00,000	1,85,000	3,50,000	2,00,23,480
34	सीतामढ़ी	67,20,000	43,68,000	4,08,000	23,040	96,000	1,16,15,040	17,000	5,00,000	-	1,35,43,000	1,85,000	3,50,000	2,62,10,040
35	सीवान	33,60,000	21,84,000	2,04,000	11,520	48,000	58,07,520	17,000	5,00,000	-	60,03,000	1,85,000	3,50,000	1,28,62,520
36	सुपौल	50,40,000	32,76,000	3,06,000	17,280	72,000	87,11,280	17,000	5,00,000	-	1,33,69,000	1,85,000	3,50,000	2,31,32,280
37	वैशाली	56,00,000	36,40,000	3,40,000	19,200	80,000	96,79,200	17,000	5,00,000	-	1,41,23,000	1,85,000	3,50,000	2,48,54,200
38	प० चम्पारण	86,80,000	56,42,000	5,27,000	29,760	1,24,000	1,50,02,760	34,000	10,00,000	-	1,59,79,000	3,70,000	7,00,000	3,30,85,760
	कुल योग	26,99,20,000	17,54,48,000	1,63,88,000	9,25,440	38,56,000	46,65,37,440	11,05,000	3,25,00,000	54,08,000	58,53,94,000	1,20,25,000	2,27,50,000	1,12,57,19,440

कुल राशि (एक सौ बारह करोड़ सनतावन लाख उनीस हजार चार सौ चालीस रु०) मात्र

पत्रांक- ०७

दिनांक- 16/04/2026 का अनुलग्नक

  
निदेशक